



REF: GPIL/NSE&BSE/2022/4750

Date: 28.06.2022

To,

1. The Listing Department,
The National Stock Exchange of India Ltd,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), MUMBAI – 400051
NSE Symbol: GPIL
2. The Corporate Relation Department,
BSE Limited, Mumbai,
1st Floor, Rotunda Building,
Dalal Street, MUMBAI – 400 001
BSE Security Code: 532734

Dear Sirs,

SUB:PUBLICATION OF NOTICE REGARDING TRANSFER OF SHARES TO IEPF

We have published Notice for shareholders regarding transfer of shares and unclaimed dividend to Investor Education and Protection Fund (IEPF) in Hindi & English Newspapers on 24th June, 2022. Please find enclosed herewith a copy of the paper cuttings of the same.

This is for your information and records please.

Thanking you,

Yours faithfully,

FOR, GODAWARI POWER AND ISPAT LIMITED

Y.C. RAO
COMPANY SECRETARY

Encl: As above



Godawari Power & Ispat Limited

An ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 certified company
CIN L27106CT1999PLC013756

Registered Office and Works: Plot No. 428/2, Phase 1, Industrial Area, Siltara, Raipur - 493111, Chhattisgarh, India

P: +91 771 4082333, **F:** +91 771 4082234

Corporate Address: Hira Arcade, Near New Bus Stand, Pandri, Raipur - 492001, Chhattisgarh, India

P: +91 771 4082000, **F:** +91 771 4057601

www.godawaripowerispat.com, www.hiragroup.com

गोहल्ली, कुरिकावली, ओदानहल्ली, निदुवानी, चित्तनहल्ली लेआउट व नरसिम्हनायका नगर में भी भूकंप के झटके महसूस हुए।

असम में बाढ़ की स्थिति में आया मामूली सुधार

गुवाहटी। असम के लोगों को बाढ़ से अब थोड़ी सी राहत मिली है। असम के सिलचर में तटबंध टूटने के दक्षिणी असम की बराक घाटी 48 घंटे बाद भी जलमग्न रही। सभी के घरों में पानी भर जाने के कारण, लोग अपने परिवारों के साथ घरों में फंसे हुए हैं। उन्हें भोजन और पीने के पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है तथा पूरे शहर की बिजली आपूर्ति ठप्प कर दी गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि यहाँ 55 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमेंत बिस्वा सरमा गुरुवार दोपहर को सबसे अधिक प्रभावित बराक घाटी का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार जल्द ही बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत पैकेज वितरित करेगी।

कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों पर आईटी के छापे

बेंगलुरु। कर्नाटक में इनकम टैक्स अधिकारियों ने कई शिक्षण संस्थानों पर टैक्स चोरी के आरोप में गुरुवार को छापे मारे। आयकर अधिकारियों ने बताया कि सर एम विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य संस्थानों में छापे मारे गए। शैक्षणिक संस्थानों पर इनकम टैक्स को लेकर इसलिए छापेमारी की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि इन संस्थानों का राजस्वों से कोई ताल्लुक तो नहीं है। छापे की कार्रवाई जारी है और इनकम टैक्स के अधिकारी बाद में इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी कर सकते हैं।

महाराष्ट्र में कोरोना के 3260 नए मामले दर्ज

मुंबई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3260 नए मामले सामने आए और तीन लोगों की मौत हो गई।

अर्वाध को जून, 2022 के आगे बनाए रखने, उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं शोध संस्थान की एक शाखा स्थापित किए जाने, कुमांक मण्डल के पौराणिक मन्दिरों को जोड़े जाने के उद्देश्य से मानस खण्ड मन्दिर माला मिशन को

सुचारु संचालन के लिए संबंधित को निर्देशित किए जाने के साथ ही टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड की इक्विटी शेयर धारिता में उत्तर प्रदेश को 25 प्रतिशत अंशधारिता को उत्तराखण्ड को स्थानान्तरित करने में केंद्र से सहयोग का भी अनुरोध

अधिक फार्मास्यूटिकल निर्माण इकाईयां स्थापित हैं जो एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रही हैं। उन्होंने उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं शोध संस्थान की एक शाखा स्थापित किए जाने का अनुरोध किया।

नवनीत के हनुमान चालीसा पाठ ने लगाई लंका में

भोपाल, 23 जून (एजेंसियां)। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की प्रशंसा करते हुए कहा है कि श्री हनुमान महिलाओं के सम्मान के रक्षक हैं और राणा के हनुमान चालीसा पाठ ने अंत में लंका में आग लगा ही दी। भारती ने अपने ट्वीट में कहा कि

महाराष्ट्र की अघाड़ी की सरकार चल नहीं सकती थी। इसका कोई वैचारिक आधार नहीं था। उन्होंने राणा की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे मजबूत महिला हैं। उन्होंने हनुमान चालीसा के कारण हुई गिरफ्तारी के बाद बहुत सारी यातनाएं झेली हैं। भारती ने बिना किसी का नाम लेते हुए कहा, देवियों से कभी युद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें पराजय ही

मिलती नहीं टि सभी महिला हनुमान में आग की बाल ठ उनकी

HIRA गोदावरी पावर एण्ड इस्पॉट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय और कार्यालय: 420/2, फ़ेज-1, औद्योगिक क्षेत्र, सिलसा, रायपुर, छत्तीसगढ़
कार्यालय कार्यालय: हिरा अवेन्यू, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001

सीआइएन: L27106CT1999PLC013756, दूरभाष: 0771-4082000, फैक्स: 0771-4057601,
वेबसाइट: www.godawaripowerispot.com ईमेल: yarra.rao@hiragroup.com

सूचना-विनिधानकर्ता शिक्षा संरक्षण कोष में अंशों के अंतरण

यह नोटिस विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) नियम, 2016 (नियम) और उसके संशोधन के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित किया जा रहा है।

इन नियमों के साथ-साथ अंतरण के प्रावधान में सभी अंशों जिसके लाभांश का भुगतान या दावा लगातार सात साल या उससे अधिक समय तक अंशधारकों द्वारा नहीं किया गया है उन्हें विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) के नाम पर अंतरण कर दिया जायेगा। नियमों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए, कंपनी ने जिन अंशधारकों का निरंतर पिछले सात वर्षों (अंतिम FY 2014-15) से लाभांश अदान है एवं जिनके अंश विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष में अंतरण करने के लिए उत्तरदायी है उन्हें उनके उपलब्ध पत्र पर पत्र के माध्यम से दिनांक 21 जून, 2022 को उचित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया है।

उपरोक्त नियमों के नियम 6 (3) के संदर्भ में, हमारी कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.godawaripowerispot.com पर आईईपीएफ में अंतरण होने वाले अंशों और अंशधारकों का पूरा विवरण अपडेट किया गया है, अंशधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे दावा न किए गए लाभांश के विवरण आईईपीएफ में अंतरण करने के लिए उत्तरदायी अंशों का निरक्षण करें।

अंशधारकों को सूचित किया जाता है कि यदि इन अंशों पर अर्जित सभी लाभांश सहित बेदावा लाभांश आईईपीएफ में अंतरण कर दिया गया हो। अतः नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण से किसी भी पर दावा किया जा सकता है।

संबंधित अंशधारकों को, भौतिक रूप में अंश धारण करते हैं और नियमों के अनुसार जिनके अंश आईईपीएफ में अंतरण करने के लिए उत्तरदायी हैं, कृपया ध्यान दें कि कंपनी अंशों के अंतरण के उद्देश्य से उनके द्वारा आयोजित मूल अंश प्रमाण पत्र को बदलने के लिए अंश प्रमाण पत्र जारी करेगी और इस तरह के मुद्दे पर, मूल अंश प्रमाण पत्र जो उनके नाम पर पंजीकृत हैं, स्वचालित रूप से रद्द हो जाएंगे और गैर-विचारणीय समझा जाएगा। अंशधारक यह भी ध्यान दें कि नियमों के अनुसार आईईपीएफ को अंशों के अंतरण के उद्देश्य से कंपनी द्वारा हल्किट अंश प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में कंपनी द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरणों को ध्यान में रखा जाए और उसे पर्याप्त नोटिस समझा जाएगा।

यदि 18 सितंबर, 2022 तक अंशधारकों से इक्विटी अंशों के संबंध में कोई वैध दावा प्राप्त नहीं होता है या ऐसी अन्य तिथियां विस्तारित की जा सकती हैं, तो कंपनी नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, अंशों को नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार देय तिथि से आईईपीएफ में अंतरण किया जायेगा। कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ में अंतरण अनधिकृत लाभांश राशि और इक्विटी अंशों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

यदि अंशधारकों के पास विषय वस्तु पर कोई प्रश्न है, तो वे रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। लिंक इटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड, सी-101, 247 पाक, एलबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई - 400083, टेली नंबर: (022) 49186270, ई-मेल: iepf.shares@linkintime.co.in and mt.helpdesk@linkintime.co.in वेबसाइट www.linkintime.co.in

संबंधित अंशधारक आईईपीएफ में अंतरण के बाद अंशों का दावा करना चाहते हैं, तो नियमों के तहत निर्धारित आईईपीएफ -5 के रूप में आईईपीएफ प्राधिकरण को एक अलग आवेदन किया जाना चाहिए और यह आईईपीएफ वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है।

कृते, गोदावरी पावर एण्ड इस्पॉट लिमिटेड
हस्ता.

रायपुर, 23 जून, 2022 वाय.सी.राव. कंपनी सचिव

HIRA हीरा फेर्रो

पंजीकृत कार्यालय और कार्यालय: 420/2, फ़ेज-1, औद्योगिक क्षेत्र, सिलसा, रायपुर, छत्तीसगढ़
कार्यालय कार्यालय: हिरा अवेन्यू, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001

सीआइएन: U27101CT1984PLC005837, दूर
वेबसाइट: www.hiraferreroalloys.com ईमेल: m

सूचना-विनिधानकर्ता शिक्षा संरक्षण कोष में अंशों के अंतरण

यह नोटिस विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) नियम, 2016 (नियम) और उसके संशोधन के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित किया जा रहा है।

इन नियमों के साथ-साथ अंतरण के प्रावधान में लगातार सात साल या उससे अधिक समय विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) के नाम पर अंतरण कर दिया जायेगा। नियमों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए, कंपनी ने जिन अंशधारकों का निरंतर पिछले सात वर्षों (अंतिम FY 2014-15) से लाभांश अदान है एवं जिनके अंश विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष में अंतरण करने के लिए उत्तरदायी है उन्हें उनके उपलब्ध पत्र पर पत्र के माध्यम से दिनांक 21 जून, 2022 को उचित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया है।

उपरोक्त नियमों के नियम 6 (3) के संदर्भ में, हमारी कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.hiraferreroalloys.com पर आईईपीएफ में अंतरण होने वाले अंशों और अंशधारकों का पूरा विवरण अपडेट किया गया है, अंशधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे दावा न किए गए लाभांश के विवरण आईईपीएफ में अंतरण करने के लिए उत्तरदायी अंशों का निरक्षण करें।

अंशधारकों को सूचित किया जाता है कि यदि इन अंशों पर अर्जित सभी लाभांश सहित बेदावा लाभांश आईईपीएफ में अंतरण कर दिया गया हो। अतः नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण से किसी भी पर दावा किया जा सकता है।

संबंधित अंशधारकों को, भौतिक रूप में अंश धारण करते हैं और नियमों के अनुसार जिनके अंश आईईपीएफ में अंतरण करने के लिए उत्तरदायी हैं, कृपया ध्यान दें कि कंपनी अंशों के अंतरण के उद्देश्य से उनके द्वारा आयोजित मूल अंश प्रमाण पत्र को बदलने के लिए अंश प्रमाण पत्र जारी करेगी और इस तरह के मुद्दे पर, मूल अंश प्रमाण पत्र जो उनके नाम पर पंजीकृत हैं, स्वचालित रूप से रद्द हो जाएंगे और गैर-विचारणीय समझा जाएगा। अंशधारक यह भी ध्यान दें कि नियमों के अनुसार आईईपीएफ को अंशों के अंतरण के उद्देश्य से कंपनी द्वारा हल्किट अंश प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में कंपनी द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरणों को ध्यान में रखा जाए और उसे पर्याप्त नोटिस समझा जाएगा।

यदि 18 सितंबर, 2022 तक अंशधारकों से इक्विटी अंशों के संबंध में कोई वैध दावा प्राप्त नहीं होता है या ऐसी अन्य तिथियां विस्तारित की जा सकती हैं, तो कंपनी नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, अंशों को नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार देय तिथि से आईईपीएफ में अंतरण किया जायेगा। कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ में अंतरण अनधिकृत लाभांश राशि और इक्विटी अंशों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

यदि अंशधारकों के पास विषय वस्तु पर कोई प्रश्न है, तो वे रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। लिंक इटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड, सी-101, 247 पाक, एलबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई - 400083, टेली नंबर: (022) 49186270, ई-मेल: iepf.shares@linkintime.co.in and mt.helpdesk@linkintime.co.in वेबसाइट www.linkintime.co.in

संबंधित अंशधारक आईईपीएफ में अंतरण के बाद अंशों का दावा करना चाहते हैं, तो नियमों के तहत निर्धारित आईईपीएफ -5 के रूप में आईईपीएफ प्राधिकरण को एक अलग आवेदन किया जाना चाहिए और यह आईईपीएफ वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है।

कृते, गोदावरी पावर एण्ड इस्पॉट लिमिटेड
हस्ता.

रायपुर, 23 जून, 2022 वाय.सी.राव. कंपनी सचिव